

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- अविचल चतुर्वेदी  
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 185/2019

1. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा जिला दौसा(राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स— शिव फ्लोर मिल, प्रो० श्री मोहित कुमार गुप्ता गिलारी रोड, ग्राम गीजगढ सिकराय जिला दौसा (राज०)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक।

आदेश

दिनांक: 01.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा जिला दौसा(राज०) ने अप्रार्थी/ऋणी मैसर्स— शिव फ्लोर मिल, प्रो० श्री मोहित कुमार गुप्ता गिलारी रोड, ग्राम गीजगढ सिकराय जिला दौसा (राज०) को 4000000/—(रूपये चालीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा जिला दौसा(राज०) को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा जिला दौसा(राज०) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा जिला दौसा(राज०) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थी श्री मोहित कुमार गुप्ता के नाम औद्योगिक प्लॉट खसरा नम्बर 442 ग्राम गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा क्षेत्रफल 1764 वर्गमीटर जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालसोट रोड दौसा जिला दौसा(राज०) को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(अविचल चतुर्वेदी)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा